राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राज0 जयपुर

क्रमांकः— एफ. 3 (ख)( ) अलेसे—।।/15507-16 दिनांकः— 17 सितम्बर, 2013

आदेश संख्या229/2013—14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 2011 में सफल/चयनित घोषित किए जाने के उपरान्त श्री राजूराम पुत्र श्री भंवरूराम (मेरिट संख्या 240/11) को विभागीय आदेश संख्या 276/2012—13 दिनांक 01.02.2013 द्वारा ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर में दिनांक 04.02.2013 से दिनांक 24.05.2013 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आदेश जारी किए गए थे।

ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त विभागीय आदेश संख्या 70/2013—14 दिनांक 24.05.2013 द्वारा श्री राजूराम का पदस्थापन जिला एवं सेशन न्यायालय जिला सिरोही में किया गया था, जहां इन्होंने दिनांक 27.05.2013 को कार्यारम्भ किया था।

श्री राजूराम पुत्र श्री भंवरूराम का चयन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/बी—1/45001/पीएससी/2013 दिनांक 13.09.13 द्वारा प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) के पद पर हो जाने के कारण इन्होनें प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) के पद पर शिक्षा विभाग में राजकीय माध्यमिक विद्यालय गजापुर ब्लॉक जसवन्तपुरा जिला जालौर में पदग्रहण करने का आवेदन दिनांक 16.09.2013 से निवेदन किया है।

श्री राजूराम पुत्र श्री भंवरूराम द्वारा लेखाकार के पद पर दिनांक 04.02.2013 से दिनांक 24.05.2013 तक लिये गये आधारभूत प्रशिक्षण में उपनिदेशक (लेखा) ह.च.मा. प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर द्वारा अपने पत्रांक 1320 दिनांक 17.09.2013 द्वारा प्रशिक्षण अवधि में श्री राजूराम, लेखाकार पर अनुमानित किए गए व्यय वेतन भत्तों एवं अन्य कार्यालय व्यय सहित कुल राशि रूपये 1,33239/— (एक लाख तेतीस हजार दो सौ उनतालीस रूपये मात्र) की दोगुनी राशि श्री राजूराम द्वारा नियुक्ति से पूर्व प्रस्तुत बन्ध पत्र में अंकितानुसार रूपये 2,66,478— (दो लाख छियासठ हजार चार सौ अठत्तर रूपये मात्र) राजकोष में मद संख्या 2070— अन्य प्रशासनिक सेवाऐं, 003 —प्रशिक्षण, 01— ह0च0मा0राज0 राज्य लोक प्रशासन, 02— फर्म प्रशिक्षण, 29—प्रशिक्षण व्यय में जमा कराने की शर्त पर लेखाकार के पद से कार्यमुक्त कर प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) के पद पर कार्यग्रहण करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Sd/-
(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांकः— एफ. 3 (ख)( ) अलेसे—।।/15507-16 दिनांकः— 17 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
2. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, ह.च.माथुर रीपा, जोधपुर ।
3. कोषाधिकारी, जोधपुर/सिरोही
4. जिला एवं सेशन न्यायालय जिला सिरोही को प्रेषित कर लेख है कि श्री राजूराम, लेखाकार से उक्त राशि राजकोष में संबंधित मद में जमा करवाने के पश्चात् नये पद के लिये कार्यमुक्त करे तथा जमा करवाई गई राशि के चालान की प्रति इस विभाग को प्रेषित करें।
5. श्री राजूराम पुत्र श्री भंवरूराम, लेखाकार कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय जिला सिरोही को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार प्रशिक्षण पर हुए व्यय एवं वेतन भत्तों की राशि संबंधित मद में जमा करावे।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
8. व्यक्तिगत पंजिका।
9. गार्ड फाईल।

17/9/2013
(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक—I}